चौथा अध्याय
व्यवहार लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

लेखा परीक्षा कंडिकायें

4.1 निष्फल/निरर्थक व्यय एवं अधिक भुगतान

लोक निर्माण विभाग

4.1.1 सड़क कार्यों के लिये महंगे टेक कोट को विवेकहीन रूप से अपनाना

सड़क कार्यों में बिटूमिन के प्रयोग से मंहगे टेक कोट का विवेकहीन रूप से अपनाने के कारण 95.04 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

सड़क एवं पुल कार्यों के लिये भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (अप्रैल 1985) तृतीय पुनरीक्षण जनवरी 1998 में संशोधित, में निर्दिष्ट है कि टेक कोट के लिये उपयोग में लाया गया बाइंडर बिटूमिनस इमल्शन या कट बैक का जैसा कि ठेके में विनिर्दिष्ट हो, होगा। तथापि, सड़क कार्यों के लिये जून 2000 से प्रभावशील एवं अप्रैल 2002 में संशोधित दर अनुसूची में केटोनिक इमल्शन एवं बिटुमिनस दोनों के उपयोग वाली टेक कोट की दरों का प्रावधान था।

छः लोक निर्माण विभाग (भवन/पथ) संभागों[43] के अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि सड़क कार्यों के अनुबंधों एवं प्राक्कलनों में डामरीकृत सतह (प्राइम नहीं की गयी) पर बिटुमिनस इमल्शन के उपयोग से टेक कोट हेतु 3.70 रुपये प्रति वर्ग मीटर एवं 6.10 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर की सस्ती मद के स्थान पर बिटुमिन के उपयोग वाली क्रमशः 6.20 रुपये प्रति वर्ग मीटर एवं 12.10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की मंहगी दरों का प्रावधान किया गया।

इस प्रकार सड़क कार्यों में डामरीकृत सतह (1966824.60 वर्ग मीटर) एवं दानेदार सतह (101368.61 वर्ग मीटर) पर बिटुमिन से टेक कोट की मंहगी मद के निष्पादन के कारण निविदा प्रतिशत सहित 95.04 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

इसे इंगित करने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2003) कि जैसा कि दर अनुसूची में सम्मिलित है धारा 503 के अंतर्गत बिटुमिन से टेक कोट के प्रावधान का विकल्प है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं क्योंकि भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों में प्रभारी इंजीनियर को बिटुमन के उपयोग के विकल्प का प्रावधान नहीं था।

---

[43] **पेण्ड्रा रोड़, अम्बिकापुर, दंतेवाड़ा, राजनांदगाँव, बेमेतरा एवं संभाग क्र.3 रायपुर**

मामला शासन को सूचित किया गया। शासन द्वारा प्रमुख अभियंता का उत्तर अग्रेषित किया गया (दिसम्बर 2003)।

4.1.2 ठेकेदार को अनुचित पक्षपात

इमल्शन के स्थान पर बिटूमिन से टेक कोट के लिये ऊँची दर के प्रयोग के फलस्वरूप ठेकेदार को 15.87 लाख रूपये का अधिक भुगतान

संभाग क्रं. 3 रायपुर के अधीन चार सड़कों के उन्नयन एवं सुधार के प्राक्कलन में भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार इमल्शन से टेक कोट का प्रावधान था। कार्य चार ठेकेदारों को दिये गये। एक ठेकेदार ने राजिम-महासमुंद मार्ग का अनुबंध (जनवरी 2002) करने के पश्चात बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ दर्शाते हुए टेक कोट का कार्य इमल्शन के स्थान पर बिटूमिन के साथ निष्पादन करने का आवेदन (मार्च 2002) किया। मुख्य अभियंता ने बिटूमिन के उपयोग की स्वीकृति दी (जुलाई 2002)। अन्य तीन ठेकेदारों ने भी इमल्शन के स्थान पर बिटूमिन के उपयोग से कार्य निष्पादित किया एवं तदनुसार भुगतान किए गए।

अभिलेखों की जॉच से प्रकट हुआ कि मुख्य अभियंता के अनुमोदन के बिना एवं अनुबंधों का उल्लंघन कर ठेकेदारों को टेक कोट के मद का भुगतान बिटूमिन के लिये लागू दर से किया गया फलस्वरूप 15.87 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

इसे इंगित करने पर प्रमुख अभियंता ने कहा (सितम्बर 2003) कि भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों की धारा 503 के अनुसार जहॉ टेक कोट इमल्शन से किया गया हो सतह किंचित नम होगी परंतु गीली नहीं।

उत्तर स्वीकार्य नही, क्योंकि भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टयों में ऐसी कंडिका का प्रावधान नहीं है कि इमल्शन का प्रयोग नम सतह पर किया जायेगा।

मामला शासन को सूचित किया गया (जुलाई 2003)। शासन द्वारा प्रमुख अभियंता का उत्तर अग्रेषित किया गया (दिसम्बर 2003)।

वन विभाग

4.1.3 क्षतिपूरक वनीकरण पर निष्फल व्यय

वृक्षारोपण के लिये स्थल की तैयारी पर 21.43 लाख रूपये का निष्फल व्यय क्योंकि बाद में वृक्षारोपण नहीं किया गया।

उचित स्थल तैयारी में सन्निहित अवरोधक खंतियों का निर्माण एवं गड्डा खुदाई कार्य वृक्षारोपण के ठीक पूर्व किये जाने है जिससे वृक्षारोपण कार्य उसी वर्ष के जून एवं जुलाई माह में किया जा सके। यदि वृक्षारोपण कार्य उन विशिष्ट माहों में नहीं किया जाता है तो स्थल तैयारी पर किया गया संपूर्ण व्यय निष्फल हो जाता है।

कटघोरा वन मंडल की नमूना जॉच में यह देखा गया कि वन मंडलाधिकारी कोरबा को 310 हेक्टेयर क्षतिपूरक वनीकरण के लिये 71 लाख रूपये का आबंटन दिया गया। तदनुसार कोरबा मंडल द्वारा सात कक्षों (310 हेक्टे.) (जून 2001 तक) में स्थल तैयारी एवं एक कक्ष (50 हेक्टे.)(जुलाई 2001) में वृक्षारोपण 23.63 लाख रूपये की लागत से किया गया। दूसरे कक्ष में वृक्षारोपण 3.74 लाख रूपये के व्यय के बाद भी नहीं किया जा सका। शेष पाँच कक्षों में वन मण्डलाधिकारी कोरबा ने वृक्षारोपण का कोई कार्य नही किया क्योंकि पर्याप्त पौधे उगाए नही गए थे।

सितंबर 2001 में मंडल का विभाजन हुआ और ये सात कक्ष नव सृजित कटघोरा मंडल में ले जाये गये। शेष राशि 47.57 लाख रूपये भी वन सृजित मंडल को हस्तांतरित कर दी गयी (जनवरी 2002)।

क्योंकि जून जुलाई 2001 में कोई वृक्षारोपण कार्य कोरबा मंडल द्वारा पाँच कक्षों में नहीं किया गया, कटघोरा मंडल के इन पाँच कक्षों (250 हेक्टे.) में स्थल तैयारी के लिये 21.43 लाख रूपये का नया व्यय पुनः जुलाई एवं अगस्त 2002 में करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप 21.43 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

मामला शासन को सितम्बर 2003 में सूचित किया गया। उत्तर में शासन ने कहा (नवंबर 2003) कि कोरबा मंडल द्वारा 23.63 लाख रूपये एवं कटघोरा मंडल द्वारा 14.68 लाख रूपये कुल 38.31 लाख रूपये 310 हेक्टेअर में व्यय किये गये एवं वहॉ कोई व्यय दोबारा नहीं था।

उत्तर गलत है क्योंकि मंडलों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत व्यय पत्रक सूचित करते है कि जुलाई 2002 में हस्तांतरित पाँच कक्षों (250 हेक्टेयर) में 21.43 लाख रूपये का नवीन व्यय करना पड़ा। इसके आगे कटघोरा मण्डल ने यह व्यय उसे हस्तांतरित 250 हेक्टेयर में किया न कि 310 हेक्टेयर में जैसा कि उत्तर में कहा गया। इस प्रकार समय से वृक्षारोपण करने में विफलता के कारण 21.43 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

4.1.4 वृक्षों के चिन्हांकन पर निरर्थक व्यय

1,85,029 चिन्हांकित वृक्षों का पातन न करने के फलस्वरूप उनके चिन्हांकन पर 27.95 लाख रूपये का व्यय निरर्थक हो गया।

कार्य आयोजना के अनुसार पातन हेतु नियत कूपों में आगामी वर्ष में पातन हेतु वृक्षों को चिन्हित किया जाता है। यदि चिन्हांकित वृक्षों का नियत वर्ष में पातन नहीं किया जाता है तो चिन्हांकन पर व्यय पुनः करना पड़ता है।

तीन मंडलों (राजनांदगांव, कोरबा एवं दुर्ग) के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2001 एवं अप्रैल 2002) में प्रकट हुआ कि 2000-2002 में पातन हेतु 192563 चिन्हांकित वृक्षों के विरूद्ध केवल 7534 वृक्ष (3.91 प्रतिशत) ही वास्तव में नियत अवधि में काटे गये। 185029 वृक्षों को न काटने के कारण उनके चिन्हांकन पर 27.95 लाख रूपये का व्यय निरर्थक हो गया।

इसे इंगित किये जाने पर वन मंडल अधिकारी राजनांदगांव ने उत्तर दिया कि कार्य आयोजना के अनुसार वृक्षों के चिन्हांकन पर व्यय किया गया परंतु न्यायालयीन आदेशों के अनुसरण में वृक्षों का पातन नहीं किया गया। वन मंडल अधिकारी दुर्ग ने उत्तर दिया कि उच्चाधिकारी के आदेश से चिन्हांकन किया गया। वन मंडल अधिकारी कोरबा ने उत्तर दिया कि न्यायालयीन आदेशों के अनुसार पातन नहीं किया गया।

उपरोक्त उत्तर मान्य नही है क्योंकि न्यायालय ने पहले ही वृक्षों के पातन पर 18 दिसम्बर 1999 से रोक लगा दी थी। इसलिये विभाग द्वारा वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 की अवधि के दौरान पातन हेतु वृक्षों के चिन्हांकन पर कोई व्यय करने के कदम नहीं उठाने चाहिये थे। न्यायालयीन आदेशों की प्रवर्तनावधि के दौरान वृक्षों के चिन्हांकन हेतु पातन की उपरोक्त कार्यवाही के फलस्वरूप 27.95 लाख रूपये की हानि हुई।

मामला शासन को सूचित किया गया (सितम्बर 2003); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2004)।

गृह विभाग

4.1.5 वेतन निर्धारण की बकाया राशि के अस्वीकार्य भुगतान की वसूली न होना।

शासकीय आदेशों के बावजूद वेतन निर्धारण पर 38.65 लाख रूपये की बकाया राशि के अस्वीकार्य भुगतान की वसूली नहीं की गयी।

मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने 1 ली अप्रैल 1981 से 70 रूपये की तदर्थ वेतन वृद्धि लिपिक वर्गीय अमले को स्वीकृत की (अगस्त 2000)। बाद में मध्य प्रदेश शासन द्वारा फरवरी 2001 में यह आदेश निरस्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़ शासन ने भी अगस्त 2001 के वित्त विभाग के आदेश से निर्देश जारी किये कि लिपिक वर्गीय अमले को 70 रूपये की तदर्थ वेतन वृद्धि का लाभ अनियमित एवं अवैध था एवं संबंधित पुलिस कर्मचारियों से तुरंत वसूल किया जाना था।

पुलिस अधीक्षकों (पुलिस अधीक्षक रायगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण शाला, राजनांदगांव) के अभिलेखों की नमूना जॉच (जुलाई 2002 एवं नवंबर 2002) एवं आगे जुलाई 2003 में एकत्र की गयी सूचना से प्रकट हुआ कि जुलाई 2001 में 33.18 लाख रूपये के बकाया एवं मई 2001 में 16.88 लाख रूपये का भुगतान क्रमशः पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण शाला, राजनांदगांव द्वारा किया गया।

तथापि सितंबर 2001 में पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ द्वारा 11.41 लाख रूपये वसूल किये गये परंतु पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण शाला, राजनांदगांव ने कोई वसूली नहीं की। इस प्रकार 38.65 लाख रूपये के बकाए के भुगतान की वसूली अभी भी लंबित है (जुलाई 2003)।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित करने पर पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ ने कहा (जुलाई 2003) कि मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, रायपुर द्वारा आवेदकों के पक्ष में वसूली के विरूद्व अगली तारीख तक एक स्थगन आदेश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण शाला, राजनांदगांव द्वारा भी कहा गया है कि मामला राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर में विचाराधीन है।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि बकाए का भुगतान मध्य प्रदेश शासन के निरस्त आदेशों के आधार पर किया गया। चूंकि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय स्टॉफ को बकाए के भुगतान के लिये कोई आदेश जारी नहीं किये गये थे बकाए का भुगतान अनियमित था। और भी कि केन्द्रीय शासन के 17 अप्रैल 2003 से प्रभावी आदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के रायपुर एवं जबलपुर कार्यालय समाप्त कर दिये गये हैं। प्रकरण अब माननीय हाइकोर्ट छत्तीसगढ़, बिलासपुर को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

मामला शासन को सूचित किया गया (सितम्बर 2003) एवं उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2004)।

4.2 संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन / ठेकेदारों का अनुचित रूप से पक्ष लेना

लोक निर्माण विभाग

4.2.1 नयी बिछाई गई बिटूमिनस परतों के मध्य टेककोट का परिहार्य व्यय

सड़क कार्यों की अनुचित आयोजना के फलस्वरूप नयी बिछाई गई बिटूमिनस परतों के मध्य टेककोट 49.13 लाख रूपये का परिहार्य व्यय, जिससे ठेकेदारों को 1.36 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ भी हुआ।

भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार नयी बिछायी गयी बिटुमिनस परत पर टेककोट का कार्य आवश्यक नहीं है यदि पश्चातवर्ती बिटुमिनस परत उसी दिन यातायात आरंभ किए बिना बिछायी गयी हो । विशिष्टियों में आगे निर्धारित है कि बिटुमिनस मेकाडम या तो अगले पेंवमेंट कोर्स से या विअरिंग कोर्स जैसा भी प्रकरण हो से बिना किसी देरी के अच्छादित किया जायेगा एवं यदि विलंब हो तब परत ऊपर यातायात आरंभ करने के पूर्व सील कोट से आच्छादित किया जायेगा जिसका अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।

इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन में चार संभागों[44] के कार्य पालन यंत्री/अनुविभागीय अधिकारियों ने नयी बिछायी गयी बिटुमिनस मेकाडम कार्यों में ठेकेदार की लागत पर बिटुमिनस परत को सील कोट से आच्छादित किए बिना यातायात गुजरने दिया। इस कारण बिटुमिनस मेकाडम के अगले कोर्स या सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट के विअरिंग कोर्स बिछाने के लिये 49.13 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत पर टेककोट आवश्यक हुआ। यदि कार्य उचित रूप से नियोजित किया जाता तो अतिरिक्त व्यय को टाला जा सकता था। यातायात गुजरने के पूर्व बिटुमिनस मेकाडम को सील न करने से ठेकेदारों को 1.36 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ हुआ।

प्रमुख अभियंता ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2003) कि सड़क पर कार्य 3 मी. से 3.65 मी. चौड़ाई के हिस्से में किया गया। चूंकि पेवर इकहरी लेन सड़क की आधी चौड़ाई पर बिटुमिनस मेकाडम नहीं बिछा सकता, पूरी चौड़ाई में बिटुमिनस मेकाडम किया गया। चूंकि यातायात तुरंत संहतीकृत की गई बिटुमिनस मेकाडम सतह से गुजरने दिया गया इसलिये विअरिंग कोर्स बिछाने के पूर्व बिटूमिनस मेकाडम को सील करने के स्थान पर टेककोट का प्रयोग किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग विद्यमान सड़क की चौड़ाई से पूर्व से ही परिचित था एवं टेककोट की आवश्यकता इसके प्राक्कलन के समय ही सुलझाना चाहिये थी।

---

[44] भवन एवं सड़क संभाग क्रं.-3 रायपुर, चांपा, जांजगीर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रं.-2 रायपुर एवं बिलासपुर

आगे राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग रायपुर एवं बिलासपुर ने 7 मीटर चौड़ाई वाली सड़कों पर कार्य किया जहॉ सड़क की आधी चौड़ाई का उपयोग कर यातायात आसानी से गुजारा जा सकता था जैसी कि विशिष्टियों में बाध्यता है नयी बिछी बिटूमिनस मेकाडम को सील किये बिना यातायात के लिये खोलने से ठेकेदार को 49.13 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत के भुगतान के अलावा 1.36 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ स्वीकृत किया गया।

मामला शासन को अगस्त 2003 में सूचित किया गया; प्रमुख अभियंता के उत्तर पर कोई विशेष टिप्पणी प्राप्त नही हुई (फरवरी 2004)।

विमानन विभाग

4.2.2 हेलीकॉप्टर प्रदाय में देरी के कारण हानि

साख पत्र की वैधता अवधि में वृद्धि पर अतिरिक्त बैंक प्रभारों का दावा न करना एवं सुपुर्दगी की मूल व संशोधित तिथियों पर विनिमय दरो के अंतर से अतिरिक्त लागत के फलस्वरूप 97.26 लाख रूपये की हानि।

छत्तीसगढ़ शासन एवं मै. यूरोकॉप्टर के मध्य 16.30 करोड़ रूपये (37.50 लाख यूरो) के हेलीकॉप्टर खरीद के अनुबंध (जुलाई 2001) के अनुसार मैसर्स यूरोकॉप्टर द्वारा ई.सी. 135 हेलीकॉप्टर 15 मई 2002 को या उसके पूर्व सुपुर्द किया जाना था। तथापि फर्म द्वारा हेलीकॉप्टर एक माह की देरी के बाद 16 जून 2002 को ही दिया गया। विभाग को तत्प्रचलित विनिमय दरों पर फर्म को 37.50 लाख यूरो के लिये 16.89 करोड़ रूपये (दिनांक 12 अक्टूबर 2001 को 4.89 करोड़ रूपये अग्रिम एवं दिनांक 5 जुलाई 2002 को शेष 12 करोड़ रूपये का भुगतान करना पड़ा)।

अनुबंध की कंडिका 5.1.2 के अनुसार विभाग हेलीकॉप्टर की देरी से सुपुर्दगी के कारण प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति के दावे का हकदार था। अभिलेखों की जॉच से प्रकट हुआ कि विभाग ने साख पत्र की वैधता अवधि को बढ़ाने के लिये 18.51 लाख रूपये के अतिरिक्त बैंक प्रभारों एवं विनिमय दरों में परिवर्तन (15 मई 2002 एवं 16 जून 2002) के कारण 78.75 लाख की अंतर लागत का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया फलस्वरूप 97.26 लाख रूपये की हानि हुई।

इसे इंगित करने पर संचालक विमानन ने कहा (मई 2003) की साख पत्र की वैधता अवधि को बढ़ाने के लिये अधिक व्यय के विवरण बैंक से एकत्रित किए जाएंगें एवं इन्हें फर्म से वसूल करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। प्रधान सचिव (गृह एवं विमानन विभाग) ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2003) कि फर्म को दिए गए नोटिस में कंपनी ने स्पष्ट किया कि पायलट को अतिरिक्त प्रशिक्षण देने के कारण तीन सप्ताह की देरी हुई एवं कंपनी को 50,000 यूरो के अतिरिक्त प्रभार का वहन करना पड़ा इसके अलावा हेलीकॉप्टर के 20,000 यूरो कीमत के अतिरिक्त कल-पुर्जे निःशुल्क प्रदाय करने पड़े इसके अतिरिक्त राज्य के अनुरोध पर 12088.15 यूरो लागत की तकनीकी सहायता दी गयी। इस प्रकार हेलीकॉप्टर प्रदाय में तीन सप्ताह की देरी एवं विनिमय दरों

में अंतर के कारण शासन को अतिरिक्त दायित्व की कंपनी द्वारा अपरोक्ष रूप से प्रतिपूर्ति की है।

विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं क्योंकि पायलटों को सभी प्रशिक्षण देना विक्रेता का दायित्व था एवं इसका पहले से ही ठेके में प्रावधान था। इसलिये किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिये 50,000 यूरो के भुगतान का प्रश्न ही नही उठता है। आगे अतिरिक्त कल-पुर्जे तकनीकी सहायता मुफ्त में देना अतिरिक्त संविदात्मक कार्य है एवं इन अतिरिक्त कल पुर्जों की खरीद ठेके में संशोधन के बिना आयात किया जा सकना संदेहास्पद है। यह मानकर कि 82088 यूरो के अतिरिक्त कल पुर्जे एवं सेवायें मुफ्त दी गई फिर भी रूपये में इनकी कीमत 37.54 लाख रूपये होती है जबकि क्षतिपूर्ति का दावा न करने से हानि 97.26 लाख रूपये की होती है।

इस प्रकार राज्य शासन को हेलीकॉप्टर की देरी से सुपुर्दगी के कारण 59.72 लाख रूपये की शुद्ध हानि हुई जिसका अभी तक दावा नहीं किया गया है।

4.3 परिहार्य / अधिक / निष्फल व्यय

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

4.3.1 महंगे जी.आई.पाइप्स के उपयोग पर परिहार्य व्यय

ट्यूब वैल में सस्ते पी.व्ही.सी.पाइपों के उपयोग के स्थान पर महंगे जी.आई.पाइपों का क्रय करने से 2.39 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत।

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं पर्यावरण संगठन, भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित जल प्रदाय मैनुअल ने जल प्रदाय योजनाओं में पी.व्ही.सी.पाइप के प्रयोग की अनुमति दी है क्योंकि पी.व्ही.सी.पाइप संक्षारण प्रतिरोधक होने के साथ ही सस्ता विकल्प भी है।

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेय जल में अधिक लौह मात्रा है फलस्वरूप धातु का स्वाद आता है एवं यह घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोग के लिये अनुपयुक्त हो जाता है । इस जल को लौह निवारक संयंत्रों की संस्थापना के द्वारा पीने योग्य बनाया जाता है । जी.आई पाइपों के उपयोग से और अधिक लौह प्रदूषण होता है एवं इसे जल प्रदाय योजनाओं में पी.व्ही.सी.पाइपों का उपयोग कर रोका जा सकता है।

यद्यपि पी.व्ही.सी.पाइप का नलकूपों में उपयोग करने के लाभ अच्छी तरह ज्ञात है, 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंडों[45] में मई 2001 एवं मार्च 2003 के मध्य केसिंग पाइपों के

[45] **कार्य पालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड महासमुंद, जगदलपुर, रायपुर धमतरी, दूर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, चांपा, रायगढ़, जशपुर, अम्बिकापुर, कोरिया, कांकेर, दंतेवाड़ा एवं विद्युत/यांत्रिक खंड रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर**

रूप में उपयोग करने के लिये 3.49 करोड़ रूपये लागत के 125 मिलीमीटर एवं 150 मिलीमीटर व्यास वाले जी.आई.पाइप प्राप्त किये। इस उद्देश्य के लिये पी.व्ही.सी.पाइपों की तुलनात्मक लागत केवल 1.10 करोड़ रूपये थी। इसके फलस्वरूप पी.व्ही.सी.पाइप की तुलना में 2.39 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

इसे इंगित करने पर प्रमुख अभियंता सहमत थे (सितम्बर 2003) कि 100 मि.मी. तक के पी.व्ही.सी. केसिंग पाइप एवं 400 मि.मी. व्यास तक के रिइनफोर्सड प्लास्टिक केसिंग फाइबर ग्लास प्रचलन में आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 30 प्रतिशत नल कूपों में 12 मीटर गहराई तक पी.व्ही.सी.केसिंग पाइपों का उपयोग किया जा रहा है। उत्तर से प्रकट होता है कि पी.व्ही.सी.पाइप का उपयोग लौह युक्त जल में उपयोग विशेष रूप से उपयुक्त है जिससे जल का और अधिक प्रदूषण रोका जा सके।

मामला शासन को अगस्त 2003 में सूचित किया गया ; उत्तर प्राप्त नही हुआ (फरवरी 2004)।

जल संसाधन विभाग

4.3.2 उच्च दरों पर निविदाओं की स्वीकृति के कारण परिहार्य व्यय

उसी स्थान पर एक समान कार्यों के लिये तत्प्रचलित दरों की अपेक्षा उच्च दरों पर निविदाओं की स्वीकृति के फलस्वरूप 10.74 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ ।

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग कांकेर ने 83.09 लाख रूपये की अनुमानित लागत का पाखँजोर गांव (पी.व्ही. 36) के मुख्य बांध का संयुक्त मिट्टी कार्य 3 समूहों में (समूह I 26.85 लाख रूपये, II 41.15 लाख रूपये, एवं III 15.09 लाख रूपये) विभाजित किया एवं जनवरी 2001 में निविदाएं आमंत्रित की।

एकीकृत दर अनुसूची से 35.91 प्रतिशत अधिक (20.51 लाख रूपये) दर वाली तृतीय ग्रुप की न्यूनतम निविदा अधीक्षण यंत्री इन्द्रावती परियोजना मंडल जगदलपुर द्वारा मार्च 2001 में स्वीकृत की गयी जबकि अन्य दो समूहों में एकीकृत दर अनुसूची से क्रमशः 51.99 एवं 52.13 प्रतिशत अधिक (40.80 लाख रूपये एवं 62.60 लाख रूपये) दर वाली न्यूनतम निविदा मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार रायपुर द्वारा मार्च 2001 में स्वीकृत की गयी। तथापि दोनों निविदाकारों से प्रतियोगी दरों को प्राप्त करने हेतु दरों पर कोई समझौता वार्ता नहीं की गयी। 1.24 करोड़ रूपये के ठेकों के विरूद्व ठेकेदार ने 1.25 करोड़ रूपये की लागत के कार्य निष्पादित एवं पूर्ण किए (नवम्बर 2002 एवं फरवरी 2003 के मध्य)।

लेखा परीक्षा जॉच से ज्ञात (जुलाई 2001) हुआ कि सभी समूहों में कार्य की मदें एक सी ही थी। तथापि मुख्य अभियंता द्वारा 51.99 प्रतिशत एवं 52.13 प्रतिशत की स्वीकृत दरें अधीक्षण यंत्री द्वारा एकीकृत दर अनुसूची से 35.91 प्रतिशत अधिक की स्वीकृत दर की तुलना में उच्च पक्ष में थी। इसके परिणामस्वरूप 11 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आयी। वास्तविक निष्पादन पर 10.74 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ।

इसे इंगित करने पर मुख्य अभियंता ने कहा (फरवरी 2003) कि बस्तर क्षेत्र में बांध के लिये मिट्टी कार्य की दर यू.एस.आर. से 50.21 से 55.05 प्रतिशत अधिक की सीमा में थी एवं मुख्य अभियंता द्वारा नॉमिनल मस्टर रोल एवं पीस वर्क के लिये स्वीकृत दरें (दिसम्बर 2000) भी यू.एस.आर. से 59 प्रतिशत अधिक थी। इस प्रकार यू.एस.आर. से अधिक स्वीकृत दरें 51.99 एवं 52.13 प्रतिशत उच्च पक्ष में नहीं थी।

इस तथ्य की दृष्टि से कि कार्य वही था इसे केवल विभाजित किया गया था उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था। और भी कि स्थानीय परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था एवं तृतीय समूह के लिये यू.एस.आर. से अधिक 35.91 प्रतिशत मात्र स्वीकृत दर ही समझौता वार्ता के लिये उपलब्ध थी। तथापि ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया गया एवं उद्धृत दरें मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत की गयी।

मामला शासन को अगस्त 2003 में सूचित किया गया ; उत्तर प्राप्त नही हुआ था (जनवरी 2004)।

वन विभाग

4.3.3 कार्यचालन व्यय की अधिकतम सीमा का अनुसरण न करना

इमारती लकड़ी एवं बांस के राजकीय व्यापार में कार्यचालन व्यय की सीमा का अनुसरण न करने के फलस्वरूप 31.70 लाख रूपये का अधिक व्यय हुआ ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) ने समय समय पर इमारती लकड़ी एवं बांस के राजकीय व्यापार में कार्यचालन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की थी। यह ऐसा सुनिश्चित करने के लिये था कि व्यय इमारती लकड़ी एवं बांस के उत्पादन के अनुरूप हो। फरवरी 1997 में 1996-97 की अवधि से इमारती लकड़ी हेतु तत्प्रचलित श्रम दर (धनमीटर) 12.5 श्रम दिवस प्रति घन मीटर एवं बांस हेतु 12 मानव दिवस प्रति नोशलन टन की परिवहन प्रभार रहित सीमा निर्धारित की गयी थी। आदेश में निहित था कि संबंधित वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी परिस्थितियों में व्यय सीमा से अधिक न हो। परिवहन पर वास्तविक व्यय उपरोक्त सीमा के अलावा स्वीकार्य किया जाना था।

अभिलेखों (अप्रैल-अगस्त 2002) की नमूना जांच से ज्ञात होता है कि वन मंडल (सामान्य) रायपुर ने 2000-2001 की अवधि में 6937.022 धन मीटर इमारती लकड़ी के उत्पादन पर स्वीकार्य व्यय 54.39 लाख रूपये से 15.26 लाख रूपये अधिक अर्थात 69.66 लाख रूपये का व्यय (परिवहन लागत को छोड़कर) किया जबकि वन मंडल (सामान्य) खैरागढ़ में 2001-2002 (जून 2002) की अवधि में 23268 नोशनल टन बांस (7293 वाणिज्यिक 15975 औद्योगिक) के उत्पादन पर परिवहन लागत छोड़कर 1.96 करोड़ रूपये का व्यय स्वीकार्य व्यय 1.80 करोड़ रूपये से 16.44 लाख अधिक किया गया।

शासन ने कहा (नवम्बर 2003) कि व्यय में बमलेश्वरी में 607 नोशनल टन औद्योगिक बांस एवं पिपरिया डिपो से 10711 नोशनल टन का संधारण व्यय सम्मिलित था। यह

भी कहा गया कि अक्टूबर 2001 एवं मार्च 2002 की अवधि में श्रमिक दर 67.87 रूपये थी। इमारती लकड़ी के प्रकरण में शासन ने कहा (नवम्बर 2003) कि अधिक व्यय डिपो एवं चैक पोस्ट के रखरखाव पर किया गया था।

उत्तर मान्य नही क्योंकि ये घटक पूर्व से ही व्यय के मानको में सम्मिलित थे। आगे वन मंडलाधिकारी खैरागढ़ द्वारा प्रेषित व्यय पत्रक में कोई व्यय पृथक से औद्योगिक बांस के संधारण पर किया जाना नहीं बताया गया। इस अवधि में श्रमिक दर का भुगतान केवल 64.43 रूपये की दर से किया गया न कि 67.87 रूपये की दर से जैसा कि उत्तर में उल्लेख किया गया था। 67.87 रूपये की श्रमिक दर का भुगतान अप्रैल 2002 से सितम्बर 2002 की अवधि के लिये किया जाना बताया गया एवं इसे केवल सितंबर 2002 में अधिसूचित किया गया। इसलिये अक्टूबर 2001 से मार्च 2002 तक ऊंची दरों के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता है।

इस प्रकार विभाग द्वारा राजकीय व्यापार के लिये निर्धारित कार्यशील व्ययों की सीमा का अनुसरण न करने से 31.70 लाख रूपये की हानि हुई।

जन संपर्क विभाग

4.3.4 15 प्रतिशत विज्ञापन प्रभार की कटौती न करने से संदिग्ध भुगतान

स्थानीय समाचार पत्रों को भुगतान से 15 प्रतिशत विज्ञापन प्रभार की कटौती न करने से 1.08 करोड़ रूपये का संदिग्ध भुगतान हुआ ।

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू मध्य प्रदेश राज्य शासन की राजपत्र अधिसूचना (अप्रैल 1997) के अनुसार ऐसे सभी समाचार पत्रों, जिन्होंने पत्रकारों के वेतनमान के निर्धारण के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त मणिसाना वेज बोर्ड की अनुशंसाओं को कार्यान्वित नहीं किया है, के विज्ञापन देयों से 15 प्रतिशत की कटौती की जाना थी।

जन संपर्क संचालक के अभिलेखों की नमूना जॉच (मई 2003) एवं आगे जुलाई 2003 में एकत्रित की गई सूचना से प्रकट हुआ कि जन संपर्क संचालक ने वेज बोर्ड के सुझावों की अनुशंसाओं की स्थिति सुनिश्चित किये बिना 7.22 करोड़ रूपये का (नवम्बर 2000 से जून 2003) 272 स्थानीय समाचार पत्रों को भुगतान किया। इन समाचार पत्रों द्वारा वेज बोर्ड की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को सुनिश्चित किये बिना विज्ञापन देयों का पूर्ण भुगतान अनियमित था।

आयुक्त ने कटौती न करना स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2003) कि नयी नीति को अंतिम रूप देना लंबित रहने तक, अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य की विज्ञापन नीति का छत्तीसगढ़ में पालन किया जा रहा था। आगे समाचार पत्रों के प्रबंधकों/प्रकाशकों से वेज बोर्ड की अनुशंसओं के कार्यान्वयन की सूचना एकत्र की जा रही थी।

इस प्रकार बेज बोर्ड की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति सुनिश्चित किये बिना इन स्थानीय समाचार पत्रों को 1.08 करोड़ रूपये का भुगतान अनियमित था एवं यदि जरूरी हो तो वसूल किया जाना आवश्यक था।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

4.3.5 रसोइयों के वेतन भत्तों पर निष्फल व्यय

चार अस्पतालों में अन्तर्वासी मरीजों को भोजन प्रदाय हेतु व्यवस्थाओं का कार्यान्वयन न होने के कारण 17.97 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

दंडकारण्य परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार[46] द्वारा चलाये जा रहे स्वास्थ्य संगठन नवंबर 1985 में राज्य शासन[47] को सौंप दिये गए थे। सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अन्तर्वासी मरीजों को भोजन प्रदाय करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा रसोइयों के नौ पद स्वीकृत किये गए थे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर (मई 2003) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर (जून 2003) के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि अप्रैल 1992 से जुलाई 2003 की अवधि के दौरान चार इकाइयों[48] में पाँच रसोइयों के वेतन भत्तों का आहरण कर रहे थे, जबकि इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सिविल अस्पतालों में अन्तर्वासी मरीजों को भोजन प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार जुलाई 2003 तक वेतन भत्तों पर किया गया 17.97 लाख रूपये का व्यय निष्फल रहा।

उत्तर में दोनों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2003) कि बजट आबंटन के अभाव में अन्तर्वासी मरीजों को भोजन प्रदाय करने के लिये मेस व्यवस्था चालू नहीं की जा सकी तब तक रसोइयों का चपरासी/वार्ड बॉय की तरह उपयोग किया जा रहा था एवं शीघ्र ही इन्हें दूसरे केन्द्रों को स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि दोनों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 1992 से 2003 की अवधि में नियमित रूप से बजट आबंटन प्राप्त किया जाता रहा है जबकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर द्वारा प्रत्येक वर्ष पूर्ण बजट समर्पित किया गया एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर ने बजट का प्रश्नाधीन दो यूनिटों[49] में उपयोग नहीं किया । इसके अलावा चपरासी /वार्ड बॉय का कोई रिक्त पद इन यूनिटों में नही था एवं इन कार्यो के लिये रसोइयों के अभिनियोजन के कारण कार्यरत शक्ति का आधिक्य हुआ जो कि न्यायोचित नही था।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्य अधिकारी अम्बिकापुर ने दो निष्क्रिय रसोइयों के स्थानांतरण का कोई प्रस्ताव नहीं दिया तथापि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर

---

46 (पुनर्वास विभाग)

47 (स्वास्थ्य विभाग)

48 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामानुजगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कमलेश्वपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कापसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पकहानजुर

49 रामानुजगंज, कमलेश्वरपुर

(सितम्बर 2003) ने निष्क्रिय रसोइयों का स्थानांतरण प्रस्ताव संचालक स्वास्थ्य रायपुर को भेजा। प्रस्ताव अभी भी अनुमोदन के लिये लंबित था।

मामला शासन को सितम्बर 2003 में सूचित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2004)।

4.4 निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियॉ अवरूद्ध होना

राजस्व विभाग

4.4.1 निष्क्रिय पूंजी

विगत तीन वर्षों से 40.92 लाख रूपये मूल्य की मशीनें संस्थापन/परिनिर्माण न करने से निष्क्रिय पड़ी रही ।

नये छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के परिणामस्वरूप उप नियंत्रक केन्द्रीय प्रिटिंग प्रेस भोपाल ने 3.73 लाख रूपये मूल्य के कम्प्यूटर सहित 81.44 लाख रूपये मूल्य की 20 प्रिटिंग एवं सवंद्ध मशीनें शासकीय क्षेत्रीय प्रेस राजनांदगांव को स्थानांतरित (अक्टूबर 2002) कीं। यद्यपि वहॉ 26 मशीनें पहले से ही कार्यरत थी।

उप नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय प्रेस राजनांदगांव के अभिलेखों की जॉच (जून 2002) एवं आगे जुलाई 2003 में एकत्रित की गयी सूचना से प्रकट हुआ कि इन 20 मशीनों में से 37.71 लाख रूपये ह्रासित मूल्यवाली 4 मशीनें 1997-2000 की अवधि में खरीदी गयीं थी। मध्य प्रदेश से स्थानांतरण के 34 माह बाद भी ये स्थापित/परिनिर्मित नहीं की गयी। इसी तरह 3.21 लाख रूपये ह्रासित मूल्य के तीन कम्प्यूटर भी ऑपरेटर्स के अभाव में निष्क्रिय पड़े थे। इस प्रकार 40.92 लाख रूपये मूल्य की मशीनें निष्क्रिय पड़ी थी।

इसे इंगित किये जाने पर शासन ने उपरोक्त तथ्य स्वीकार किया (अगस्त 2003)। शासन ने आगे कहा कि सभी चार मशीनें (फोल्डिंग मशीन, केमरा, कटिंग मशीन एवं अजित मशीन 620) को प्रिटिंग प्रेस, रायपुर में स्थापित किया जायेगा परंतु कम्प्यूटर की स्थापना के बारे में कुछ नही बताया गया। तथापि रायपुर में कोई प्रिटिंग प्रेस स्थापित नहीं हुई थी (जनवरी 2004)। विभाग द्वारा इन निष्क्रिय मशीनों/कम्प्यूटरों की स्थापना एवं उपयोग सुनिश्चित करने के संबंध में कोई कदम नहीं उठाये।

4.5 विनियामक मुद्दे एवं अन्य बिंदु

सहकारिता विभाग

4.5.1 सहकारिता बैंक के द्वारा खाद की विक्रय प्राप्तियों के देरी से प्रेषण पर ब्याज की वसूली न करना

मार्कफेड को खाद की विक्रय प्राप्तियों की देरी से हस्तांतरण पर ब्याज के दावे पर विलंब से कार्यवाही/अनुवर्ती कार्यवाही के फलस्वरूप 1.92 करोड़ रूपये के ब्याज की सहकारिता बैंक से वसूली न होना ।

पंजीयक मध्यप्रदेश सहकारिता समिति भोपाल के द्वारा जारी निर्देश (मार्च 1985) के अनुसार खाद की विक्रय प्राप्तियों के बैंक ड्राफ्ट जिला केन्द्रीय सहकारिता बैंक के खाद विक्रय खाते में जमा करना चाहिये। इस राशि को उसी दिन एपेक्स बैंक की संभागीय शाखा के माध्यम से मार्कफेड खाद विक्रय एकत्रीकरण खाते में क्रेडिट करना आवश्यक है। यदि बैंक उसी दिन राशि अंतरित करने में असफल रहता है तब उसे 14 दिन की छूट अवधि के बाद देरी की अवधि के लिये एक प्रतिशत दांडिक ब्याज सहित 16.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भुगतान करना पड़ेगा।

जिला मार्केटिंग अधिकारी रायगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2001) एवं आगे एकत्रित की गई सूचना (अगस्त 2003) से प्रकट हुआ कि अक्टूबर 1998 से मार्च 2003 की अवधि तक खाद की विक्रय प्राप्तियों हेतु प्राप्त 40.69 करोड़[50] रूपये के बैंक ड्राफ्टों में से 39.87 करोड़[51] रूपये एक से 151 दिनों की देरी से एपेक्स बैंक के संभागीय शाखा में मार्कफेड के खाते में जमा करने के लिये अंतरित किये गये। परिणामस्वरूप बैंक देरी से जमा करने की अवधि के लिये 1.92 करोड़[52] रूपये के ब्याज के भुगतान के लिये दायी था। आगे 0.82 करोड़ रूपये की एक राशि उपरोक्त अवधि के लिये मार्कफेड के खातों में 31 मार्च 2003 तक अंतरित की जाना शेष थी।

इसे इंगित करने पर (अगस्त 2003 एवं जनवरी 2004) जिला मार्केटिंग अधिकारी, रायगढ़ ने कहा कि अक्टूबर 1998 से मार्च 2003 तक की अवधि के ब्याज के दावे बैंक पर किए गए (अक्टूबर 2001 एवं अगस्त 2002) एवं राशि जमा करने के लिये बैंक को पंजीकृत नोटिस भी जारी किए गए थे।

---

[50] **(अक्टूबर 1998 से अक्टूबर 2000 तक 26.69 करोड़ रूपये एवं नवंबर 2000 से मार्च 2003 तक 14 करोड़ रूपये)**

[51] **अक्टूबर 1998 से अक्टूबर 2000 तक 23.06 करोड़ रूपये एवं नवंबर 2000 से मार्च 2003 तक 16.81 करोड़ रूपये**

[52] **अक्टूबर 1998 से अक्टूबर 2000 तक 1 करोड़ रूपये एवं नवंबर 2000 से मार्च 2003 तक 92 लाख रूपये**

उत्तर स्वीकार्य नही क्योंकि सिवाय एक प्रारंभिक दावे के कोई स्मरण पत्र या अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गयी। लंबित प्राप्तियों की वसूली दर्शाते हुए वर्षवार लंबितों का समेकन करने एवं प्रगामी दावे करने के कोई कदम नहीं उठाये गये। चूंकि ब्याज की 1.92 करोड़ रूपये की राशि बैंक द्वारा अंतरित नही की गयी, लेखा परीक्षा के दृष्टांत पर पंजीयक सहकारिता समितियॉ रायपुर के न्यायालय में एक प्रकरण पंजीकृत किया गया (नवम्बर 2003)।

मामला शासन को सूचित किया गया (सितम्बर 2003 एवं नवम्बर 2003); उत्तर प्राप्त नही हुआ था (फरवरी 2004)।